A 42
Ti - 13/2019

गल्ती देवी v/s सरकार वगैरे तहसीलदार

कार्यालय टिप्पणी

12/02/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष को बहस हेतु पत्रावली में नोटिस अवसर दिया जाता है। पत्रावली बाबत बहस हेतु दिनांक 06/03/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

6/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस पर सुनी गई। बहस मनन किया जाकर पत्रावली का मय इस्तगासा मवलोकन किया गया। इस्तगासा के विस्तारपूर्वक विवादित आराजीयात की सेटलमेंट बनाये रखना उचित समझते हैं अतः प्रार्थिका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर मौके 04/04/2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही किया जाकर प्रार्थी व प्रार्थिका 10 लगान की तालेमला, मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित कृषि आराजीयात खसरा नं. 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 28 रकबा 0.50 हे. एवं 26 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 16 रकबा 1.71 हे. वाके ग्राम पालडी परसा तह. सांगानेर जिला जयपुर स्थित का बेचान न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6/3/24 को पेशखाना जाकर सुनाया जाकर इफ्तताह सुनाया गया।